अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 825(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2010 है

(2) जैसा कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है के सिवाय, ये नियम 1 अगस्त, 2007 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे :

परंतु जहां निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई विकास अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमें वह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से इन नियमों के उपबंधों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, वहां निगम आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार विकल्पित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए उक्त विकास अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

(3) ये नियम उंन विकास अधिकारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में तारीख 1 अगस्त, 2007 को या उसके पश्चात् पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे :

परंतु ऐसे विकास अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1 अगस्त, 2007 और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 में,-

(i) नियम 2 में उपनियम (ङ) स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" "विशेष नियमों" से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 और /या भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 अभिप्रेत है ।";

(ii) नियम 4 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" (1) 11535-700(2)-12935-825(2)-14585-840(17)-28865" ;

(iii) नियम 4 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" (3) **वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धि:-**

कार्य अभिलेख के समाधानपूर्वक पाए जाने के अधीन रहते हुए, ऐसे विकास अधिकारी के जो वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पश्चात्तवर्ती मास के पहले दिन या उसके मूल्यांकन वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात्तावर्ती मास के पहले दिन, उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य-वृद्धि उसके मूल वेतन में अनुदत्त की जाएगी किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम तीन होंगी:

परंतु कोई विकास अधिकारी, ऐसी तीसरी वृद्धि पाने के पश्चात् तीन वर्ष पूरा होने से पूर्व मूल वेतन में ऐसी चौथी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा :

परंतु यह और कि जहां किसी विकास अधिकारी को उसके लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात्तवर्ती मास के पहले दिन या (वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् मास के ऐसे पहले दिन से या "सुसंगत तारीख" के रूप में निर्दिष्ट तारीख से) उसके मूल वेतन में वृद्धि अनुदत्त नहीं की गई है तो उसका मामला, सुसंगत तारीख से संगणित की जाने वाली सेवा की बारह मास पूर्ण करने के पश्चात्तवर्ती मास में उस प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में पुनरीक्षण के लिए तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुज्ञात न की जाए और तत्पश्चात् यदि ऐसी वृद्धि अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें उस मूल्यांकन वर्ष जिसमें विनिश्चय किया गया है, में पुनरीक्षण किया जाना था ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए " कलैंडर वर्ष" से "1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि" अभिप्रेत है ।

(iv) नियम 5 में,-

"(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" (1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :

(क) **सूचकांक** : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) **अधार** : 1960-100 की श्रृंखला में सूचकांक सं0 2944

(ग) **दर** : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2944 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए विकास अधिकारी को वेतन के 0.15 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ "वेतन" से मूल वेतन अभिप्रेत है, जिसमें इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित हैं ।

(ख) उपनियम (2) में, "2328 प्वाइंट से ऊपर होने पर 2328-2332-2336-2340", शब्दों और अंकों के स्थान पर "2944 प्वाइंट से ऊपर होने पर 2944-2948-2952-2956" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(v) नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" (1) विकास अधिकारी का, सिवाय उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i मुबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नवीं मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरु और 45 लाख और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले अन्य नगर ।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 3200/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii (i) में वर्णित और गोवा राज्य के किसी नगर के सिवाय बारह लाख से अधिक किंतु 45	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 2700 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

लाख से कम जनसंख्या वाले नगर ।	
iii अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशन, अधिकतम 2600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पणः इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(i) जनसंख्या के आँकड़े अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;
(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ;
(iii) 'वेतन' से मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत हैं ।

(vi) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :-

" 7. नगर प्रतिकारात्क भत्ता :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i मुबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नवीं मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरु और 45 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर ।	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 675/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii (i) में वर्णित और गोवा राज्य के किसी नगर के सिवाय, बारह लाख से अधिक किंतु 45 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर ।	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 625 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii पांच लाख और उससे अधिक किंतु बारह लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, राज्यों की राजधानियां जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक न हो, चंडीगढ़, मोहाली, पांडेचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला ।	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 545 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पणः इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(i) जनसंख्या के आँकड़े अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;
(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ;
(iii) 'वेतन' से मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(vii) नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् :-

" 7क. पर्वतीय भत्ता :

विकास अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते के मापमान इस प्रकार होंगे :-

क्र0सं0	स्थान (1)	दर (2)
1.	समुद्र तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	370 रु0 प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की दर पर
2.	समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मेरकारा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिदिष्ट रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ' पर्वतीय स्थानों' के रूप में घोषित किया गया है ।	290 रु0 प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर पर
3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं ।	290 रु0 प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर पर ।

(viii) नियम 8 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" 8(1) **भविष्य निधि:**

"परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी या अस्थायी रूप से नियुक्त विकास अधिकारी, या तारीख 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् नियुक्त विकास अधिकारी, या ओरियन्टल गवर्मेन्ट सिक्यूरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लि0 के विकास अधिकारी से भिन्न ऐसा कोई विकास अधिकारी जो उस कंपनी की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहा है, अपने वेतन के दस प्रतिशत की दर से निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में प्रत्येक मास अभिदाय करेगा । निगम भविष्य निधि में ऐसी रकम का अभिदाय करेगा जो प्रत्येक ऐसे विकास अधिकारी के मूल वेतन के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसे विकास अधिकारी के वास्तविक अभिदाय के बराबर होगी ।

परंतु निगम से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन निगम, 1995 द्वारा शासित किसी विकास अधिकारी की बाबत पेंशन निधि में कोई ऐसा अभिदाय करनेकी अपेक्षा नहीं होगी ।"

(ix) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" **10. साम्यापूर्ण अनुतोष**- (1) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम विकास अधिकारियों की बाबत 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि प्रदान करने के लिए अनुदेशों द्वारा साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में निम्नलिखित उपबंध कर सकेगा:-

1 अगस्त, 2007 से 31 मार्च, 2008, 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 और 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष, विशेष नियमों के अधीन मूल्यांकन वर्ष के प्रयोजन के लिए वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नीचे दर्शित किए गए अनुसार होगा :-

(i) 1 अगस्त, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के तुरंत पश्चात् प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए वार्षिक परिलब्धियों के भाग रूप में होगा, और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष के 50 प्रतिशत को वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा, और

(ii) 1 अप्रैल,2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत दूसरा उल्लिखित बारह मास की अवधि के उत्तरवर्ती मूल्यांकन वर्ष के बारह मास के लिए वार्षिक परिलब्धियों के भागरूप में होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष के 50 प्रतिशत को वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा , और

(iii) 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशन द्वितीय उल्लिखित बारह मास की अवधि के उत्तरवर्ती मूल्यांकन वर्ष के बारह मास के लिए वार्षिक परिलब्धियों के भागरूप में होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष के 50 प्रतिशत को वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :-

(1) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संबलम उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक परिलब्धियों का भागरूप होगा ।

(2) निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 51 के उपनियम (2) के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अगस्त, 2007 को या उसके पश्चात् किंतु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा और यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्यापूर्ण

अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निर्बंधन और शर्तें क्या होंगी :

परंतु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष नियम के अधीन समाप्त की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां मूल वेतन इस नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे ।";

(x) नियम 10ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" **10ख. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई)** : निगम के विकास अधिकारियों को उत्पादकता संबंद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप से संदत्त किया जाएगा :

(i) तारीख 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित एकाग्र विवरण पर आधारित पैरामीटर के आधार पर संपूर्ण निगम के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबंद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ;

(ii) 1 अप्रैल, 2010 से से उसके पश्चात् की अवधि के लिए बोर्ड, अपने विकास अधिकारियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के एकाग्र विवरण पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के पैरामीटर और कार्य मानक विरचित करने के लिए सशक्त होगा :-

(क) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1 अगस्त, 2007 को प्रत्येक विकास अधिकारी के पूर्व पुनरीक्षित वार्षिक वेतन का 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत आदि से अधिकतम 6 प्रतिशत के बराबर संदेय होगा ।

(ख) निगमित कार्यालय के विकास अधिकारियों को संपूर्ण निगम के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(ग) जोन कार्यालय के विकास अधिकारियों को संपूर्ण जोन के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(घ) खंड/शाखा कार्यालय के विकास अधिकारियों को संपूर्ण प्रभाग के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(ङ) जोन कार्यालय/ खंड कार्यालय/शाखा कार्यालय के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की न्यूनतम अवसीमा निगमित स्तर उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत होगा ।

टिप्पणः (I) इस नियम के प्रयोजन के लिए वार्षिक वेतन से - (1) विद्यमान विकास अधिकारियों की बाबत 1 अगस्त, 2007 को पूर्व पुनरीक्षित मूल वेतन, महंगाई भत्ता और निश्चित वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है ।

(2) 1 अगस्त, 2007 को पूर्व पुनरीक्षित ऐसा मूल वेतन और महंगाई भत्ता अभिप्रेत है जो उस प्रक्रम के अनुरूप है जिस पर उन विकास अधिकारियों की बाबत, जिनकी नियुक्ति 1 अगस्त, 2007 के पश्चात् हुई थी, नियुक्ति पर उनका वेतन निश्चित किया गया था ।

(II) शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विकास अधिकारियों को इस नियम के अधीन संदत्त रकम विशेष नियमों के अधीन उसके वार्षिक पारिश्रमिक और तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक का भाग नहीं होगी ।" ;

(xi) नियम 10 ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

" 10ग. पारादीप पत्तन भत्ता-

पारादीप में कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत प्रत्येक विकास अधिकारी को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या पारादीप में सेवा आरंभ की तारीख से, जो भी बाद में हो, के पश्चात्तवर्ती मास की पहली तारीख से 110 रु0 प्रतिमास "पारादीप पत्तन भत्ता" संदत्त किया जाएगा। यह भत्ता किन्हीं फायदों की श्रेणी में नहीं आएगा किंतु विशेष नियमों के अधीन तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक और वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा । ";

[फा. सं. एस-11012/05-2008-इंस. III(ii)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (बीमा और पेंशन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

(1) केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है । तदनुसार, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट उन तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का संशोधन किया जा रहा है ।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण :- मूल नियम सा0का0नि0 सं0 1091 (अ), तारीख 17 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का0नि0 सं0 962 (अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987, सा0का0नि0 सं0 871(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988, सा0का0नि0 सं0 968(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1989, सा0का0नि0 सं0 825(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 1990, सा0का0नि0 सं0 55(अ) , तारीख 21 जनवरी, 1992, सा0का0नि0 सं0 325 (अ), तारीख 10 मार्च, 1992, सा0का0नि0 सं0 54(अ), तारीख 2 फरवरी,

1994, सा0का0नि0 596(अ), तारीख 30 जून, 1995, सा0का0नि0 सं0 95(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996, सा0का0नि0 287(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996, सा0का0नि0 सं0 531(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998, सा0का0नि0 सं0 551(अ) , तारीख 22 जून, 2000, सा0का0नि0 सं0 288(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2004 और सा0का0नि0 सं0 560(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005 द्वारा उनका पश्चात्तवर्ती संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

G.S.R. 825(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title, commencement and application.**- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers(Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2010.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2007:

Provided that where any Development Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such Development Officer.

(3) These rules shall be applicable to those Development Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2007:

Provided that the Development Officers whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2007 and the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision.